go to the next item. Statement by Minister of Parliamentary Affairs. Shri Buta Singh.

13.46 Hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :

With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 2nd May, 1983, will consist of :—

1. Further consideration and passing of the Finance Bill, 1983.
2. Consideration and passing of :—
   (a) The African Development Bank Bill, 1983.
   (b) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1983.
   (c) The Central Industries Security Force (Amendment) Bill, 1983.
   (d) The Trade Unions (Amendment) Bill, 1982.
   (e) The Cantonments (Amendment) Bill, 1982.
3. Further discussion on the 29th, 30th and 31st Reports of the Union Public Service Commission.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे उत्तर बिहार में भयंकर तूफान, वर्षा एवं ओला पड़ने से रबी की फसल की भारी बरबादी हुई है। गेहूं की फसल तो खास तौर से बरबाद हुई है। इससे किसानों को अपार क्षति उठानी पड़ी है। यह अवस्था केवल बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हरियाणा एवं पंजाब में भी उत्पन्न हुई है। अस्तु, किसानों की इस स्थिति पर अगले सप्ताह की कार्यसूची में इसको लाकर लोक सभा में चर्चा होनी चाहिये।

अप्रैल का अब अन्त हो रहा है। गन्ना किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है। उसकी पिराई की सुनिश्चितता होनी चाहिये तथा उनके बकाया के भुगतान का कोई सरकारी उपाय होना चाहिये। इसलिए अगले सप्ताह में कार्य-सूची में इसको लाकर इस पर बहस होनी चाहिये तथा किसानों की इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिये।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : देश के कई राज्य भयंकर सूखे की चपेट में आ गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु आदि में सूखे की यह स्थिति अभूतपूर्व है। वहां पीने के पानी का घोर संकट है तथा करोड़ों रुपयों की फसलें नष्ट हो गई हैं। भारी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहे हैं और साथ में पशुओं को भी ले जा रहे हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भयानक बीमारियां फैल रही हैं। राजस्थान में अकाल तथा बीमारियों से सैकड़ों लोगों के मरने की खबर है। जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर आदि जिलों में सूखे की स्थिति अत्यन्त भयानक है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद तथा बुन्देलखंड का अधिकांश भाग सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सूखे से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की फसलों को हानि पहुंची है। तमिलनाडु में पेयजल की विकट समस्या पैदा हो गई है।

केरल में 1360 गांवों में से 1341 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। श्रीमान, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और देश का लगभग 75 प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित है। अतः इस गम्भीर मामले पर अगले सप्ताह इस सदन में बहस अवश्य होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश के ताप बिजली घरों में उत्पादन क्षमता से बिजली का उत्पादन बहुत कम हो रहा है जिसके कारण राज्य में सिंचाई, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा गेहूं निकालने के लिए थ्रेशरों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा

रहीं। फलस्वरूप किसानों तथा लघु उद्यमियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर अगले सप्ताह सदन में विचार होना चाहिये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में नीचे लिखे विषयों को जोड़ा जाये;

1. हिसार टैक्सटाइल मिल में 5 हजार मजदूर बेकार हैं और भूखों मर रहे हैं क्योंकि मिल मालिकों ने गैर कानूनी तौर पर मिल को बन्द कर रखा है और हरियाणा सरकार बिल्कुल असमर्थ है। मजदूरों की हालत बद से बदतर हो रही है। कृपया इस विषय को इस सप्ताह की सूची में शामिल किया जाय।

2. अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक राजस्थान और बिहार इत्यादि अकाल पीड़ित क्षेत्र में भुखमरी फैल रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ओला वृष्टि और तेज वर्षा से फसलें खराब हो गई हैं और दूसरी तरफ एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में अनाज ले जाने पर पाबंदी लगायी जा रही है। इस विषय को इस सप्ताह की सूची में जोड़ा जाय।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, मल्लाह, निषाद, केवट, कहार, मांझी बिन्द, धीवर आदि मछुआ समाज के अंग हैं और देश में इनकी संख्या करोड़ों में है। काका कालेलकर कमीशन व मंडल आयोग के विवरण में भी इन वर्गों को सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से उन्हें पिछड़ा माना गया है। रामायण व महाभारत व अन्य धर्म शास्त्रों में व इतिहासों में भी इनके साथ भेद भाव की चर्चा की गई है और इन्हें निम्न श्रेणी में रखा गया है। यह सर्वविदित है कि यह वर्ग हर प्रकार से पिछड़ा है और जातिगत आधार पर इनको समाज में सम्मान व आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं मिला। इसलिए इन वर्गों को अविलम्ब अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में रखने के लिए सरकार निर्णय ले।

2. 26 अप्रैल, 1983 को प्रो० कवाड़े के नेतृत्व में दलित मोर्चा के दसियों हजार लोग महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पैदल चल कर दिल्ली तक आये और वोट क्लब पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दीं। उनकी मांग थी कि बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल को संविधान दिवस मनाया जाय और राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाय और मराठवाडा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से रखा जाय और इसके आधार पर दलितों पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को समाप्त करने हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।

अतः आपसे आग्रह है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही को आवश्यक देखते हुए आगामी सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाय।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के महंगाई भत्ते एवं पेंशन की राशि में महंगाई को ध्यान में रख कर समय-समय पर वृद्धि करती रही है। परन्तु दुख है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की राशि में 1980 के बाद से वृद्धि नहीं की गई है जिसके कारण उन्हें भीषण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस बजट सत्र में विनियोग विधेयक पर विचार होने के क्रम में जब मैंने स्वतन्त्रता सेनानियों को मिल रहे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की राशि में वृद्धि करने की मांग की तो वित्त मन्त्री ने विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए घोषणा की कि सरकार उनके पेंशन की राशि में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। परन्तु दुख है कि यह बजट सत्र अब समाप्त होने पर आ गया है, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में वृद्धि की निश्चित घोषणा अब तक नहीं की गई है।

अत: गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस सत्र में स्वतन्त्रता सेनानियों को मिल रही पेंशन राशि को तीन सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपये माहवारी निर्धारित करने की घोषणा कर बूढ़े सेनानियों एवं उनके परिवार के लोगों की मदद करें।

2. आगामी एक जुलाई मे उड़ीसा के केओंझर तथा सुन्दरगढ़ जिलों के करीब 25,000 खान मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि मालिकों ने खानों को बन्द करने या मजदूरों की छटनी करने का नोटिस दिया है।

प्रबन्धकों की दलील है कि एम०एम०टी० सी० ने जो लौह अयस्क का एक मात्र खरीददार है, 2 अप्रैल, 1983 को लिखे गये अपने पत्र में दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के 31 बड़े एवं छोटे खान मालिकों से लौह अयस्क खरीदने इन्कार कर दिया है। सरकार के इस कदम से 50 हजार मजदूरों पर निर्भर लाखों लोग भुखमरी के शिकार होंगे। अत: सरकार को इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करते हुए सदन में एक बयान देना चाहिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, 2 मई, 1983 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में किये जाने वाले कार्यों की सूची में जन-हित के निम्न बिन्दुओं पर भी विचार किया जाये और उन्हें कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये।

1. 2 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित मंडल कमीशन (पिछड़ी जाति आयोग) की सिफारिशें लागू करने पर सरकार द्वारा कार्यवाही।

2. जनगणना से संबधित वर्षों से कार्यरत जनगणना के 800 कर्मचारियों को स्थायी करना तथा कार्य समाप्ति पर अस्थायी कर्मचारियों की छटनी के बाद उन्हें अन्य विभागों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाना।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, before I make my submission, I would like to make one small submission. You were in the Chair that day when under rule 377 I raised the matter regarding performance of our Indian football team in International Nehru Football Competition. I wanted an inquiry into that and I am happy that the hon. Sports Minister sent me a reply on 14th April. I received another d.o. letter yesterday regarding the report of the All India Football Federation. I am happy that he is pursuing the matter. The other Ministers should follow the Sports Minister or the Parliamentary Affairs Minister whatever he is called. I thank for this Mr. Buta Singh. Now I come to the main thing...(*Interruptions*).

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Sir, have you allowed it to remain on record ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes, I have allowed it to go on record.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : So, at least there is a compliment from CPI (M).

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : This is the real sportsmanship.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I was myself a sportsman, I was a goal-keeper...(*Interruptions*).

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR (Pilibhit) : He has been a goal-keeper, Sir.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : Let this spirit continue.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Now my submission is :

I wish the following issues to be included in the Government Business for the week commencing the 2nd May 1983 :—

(1) Nationalisation of M/s. Carter Pooler and Company Pvt. Ltd., Incheck Tyres Ltd. and National Rubber Manufacturers Ltd., Hooghly Docking and Engineering Co. Ltd., Borentfort and Co. Ltd. ; the problem of sick industries in the country and the future of employees in these industries ; and the closure, lock-out and lay-off problem in these industries.

(2) The problems of large-scale unemployment to be taken up.

14.00 Hrs.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में इन दो विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

आज हमारे देश में उन्हीं प्रदेशों की अधिक प्रगति हो रही है, जो छोटे हैं। बड़े-बड़े प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। चोरी, डकैती भी बड़े प्रदेशों में अधिक हो रही है। छोटे प्रदेशों की अपेक्षा बड़े प्रदेश कृषि-उत्पादन, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास बलिक योजनाओं के हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। बड़े प्रदेशों में समस्त राजकीय कार्य छोटे प्रदेशों की अपेक्षा अधिक गिरी हुई स्थिति में हैं। कोई भी मुख्य मन्त्री या मन्त्री जिला स्तर के समस्त उच्च अधिकारियों को न तो जानते हैं और न प्रत्येक जिले की स्थिति का अध्ययन कर पाते हैं। परिणाम यह होता है कि जनता की अनेक प्रकार की समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं।

14.01 Hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

आजकल प्रगति का मापदंड आर्थिक विकास है। उस दृष्टि से निम्नलिखित तुलनात्मक विवरण से सिद्ध हो जाता है कि बड़े प्रदेश छोटे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए हैं। जहां तक छोटे प्रदेशों की प्रति-व्यक्ति आय का सम्बन्ध है, दिल्ली की प्रति-व्यक्ति आय 2942 रुपए, पांडिचेरी की 2930 रुपए, पंजाब की 2763 रुपए, गोआ की 2659 रुपए और हरियाणा की 2375 रुपए है। बड़े प्रदेशों में बिहार की प्रति-व्यक्ति आय 870 रुपए, मध्य प्रदेश की 1138 रुपए, तामिलनाडू की 1269 रुपए, उत्तर प्रदेश की 1272 रुपए और राजस्थान की 1277 रुपए है। ये आंकड़ें योजना मन्त्री ने लोक सभा में 30 मार्च, 1983 को एक प्रश्न के उत्तर में बताए हैं।

देश का और बड़े प्रदेशों—उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश—का हित इसी में है कि इनका पुनर्गठन हो। इस विषय पर चर्चा को अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाये।

मथुरा नगर में रेलवे के मीटरगेज और ब्राडगेज के दो पुल हैं। दोनों पुलों के नीचे हो कर रास्ता है। बस और ट्रक निकलने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे पुल बहुत नीचे हैं। मथुरा में आगरा और दिल्ली से आने के ये प्रमुख रास्ते हैं। जनता को बहुत कठिनाई होती है। रेल मन्त्रालय को शीघ्र ध्यान देकर समस्या का हल निकालना चाहिए। इस विषय को विचार के लिए अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाय।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित दो विषयों को प्रस्तुत कर रहा हूं।

केन्द्रीय सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 'स्टेप' योजना के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने के लिए गम्भीरता से सोच रहा है। यह स्वागत-योग्य कदम है। बिहार सरकार ने करीब-करीब इसी प्रकार की योजना बिहार में आरम्भ की थी। राज्य सरकार द्वारा प्रेरित इस योजना को रांची स्थित बी आई टी, मेसरा के प्रांगण में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है, किन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण योजना पूर्णतया प्रभावशाली नहीं हो सकी है। अतः बिहार के औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए वहां 'स्टेप' योजना लागू करने की बात अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए।

हमारे समाज में लेखक एक अरक्षित प्राणी है, जिसकी स्थिति अन्य मेहनतकशों जैसी ही है। लेखक की मजबूरी का लाभ उठाकर प्रकाशक समूची कृतियों के कापीराइट औने-पौने दामों पर खरीद लेता है। कापीराइट कानून की धारा 3 (1) के अनुसार प्रकाशक कृतिका

दूसरा संस्करण छापने का अधिकार लेखक के न चाहने पर भी अदालत से प्राप्त कर सकता है। इन ज्यादतियों को रोकने के लिए कापीराइट कानून से सम्बन्धित धाराओं के संशोधनों की आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है कि लेखकों के हितों की रक्षा हेतु एक विधेयक अगले सप्ताह सदन में लाया जाए।

SHRI BUTA SINGH : I am grateful to the hon. Members who have mentioned the matters of vital public importance through their points. The House is seriously engaged in having general debate on Finance Bill. All these matters form part of the debate. I will request them to hand over these points to the respective speakers of their parties so that they can highlight those points during their debate and it could attract the attention of the Government and the Ministry of Finance.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : My party spokesman has already participated in the Finance Bill. How can I hand over my points to him ?

SHRI BUTA SINGH : For having them included in the next week's programme, I can carry these points and I will definitely place them before the Business Advisory Committee. In case Business Advisory Committee finds time, they may do so. I will carry these points but at the same time I will request the hon. Members to have these points mentioned in the course of general discussion on the Finance Bill so that they can get the attention of the Minister of Finance because most of the items are primarily connected with the Ministry of Industry or Finance. These things can be taken care of during this debate.

MR. CHAIRMAN : Now we take up further consideration of the motion moved by Shri Pranab Kumar Mukherjee. Shri Girdhari Lal Vyas.

14.06 Hrs.

FINANCE BILL, 1983—*Contd.*

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कल माइका इण्डस्ट्रियल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के बारे में जिक्र कर रहा था कि यह पब्लिक सेक्टर की कार्पोरेशन है जो माइका में डील करती है। राजस्थान में भीलवाड़ा जो मेरी कांस्टीटुएन्सी है, उसमें माइका सबसे ज्यादा निकलता है। यह कारपोरेशन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से तो माइका खरीदती है लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं उनकी माइका नहीं खरीदती है। जब उनकी बिक्री नहीं होती है तो खानें कैसे चलेंगी ? उनकी खानें बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर की कार्पोरेशन इस तरीका का धंधा करे कि पूंजीपतियों से मिलकर उनका सामान खरीदे और छोटी-छोटी खानों के जो मालिक हैं, उनका सामान न खरीदे जिससे कि उन्हें खान बन्द करनी पड़े और फिर हजारों मजदूर बेकार हों तो यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि कार्पोरेशन के रेप्रेजेन्टेटिव्ज के द्वारा जो धांधली चल रही है उसको ठीक किया जाए और जो गरीब लोगों की माइका है, जो पांच नम्बर से नीचे है उसको भी खरीदा जाए। जो कम नम्बर की और हल्के दर्जे की माइका है उसके बारे में पहले भी कहा गया था और भारत सरकार ने आदेश भी दिया था कि 5 नम्बर से नीचे की जो माइका है उसको खरीदा जाए और एक्सपोर्ट किया जाए। आपने अपनी रिपोर्ट में जो वीकर शेक्संस को लाभ पहुंचाने की बात कही है उसके विपरीत यह काम हो रहा है इसलिए इसके बारे में तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि वहां पर जो माइका निकलती है उसके आधार पर माइका पेपर के कारखाने वहां स्थापित किए जाने चाहिये। हजारों टन माइका वेस्ट वहां पर पड़ी हुई है जिस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, केवल कागज बनाने में ही उसका उपयोग हो सकता है। जिस प्रकार से बिहार में माइका पेपर के कारखाने स्थापित हुए हैं उसी प्रकार से भीलवाड़ा में भी माइका पेपर के कारखाने स्थापित किए जाने